न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 29/2025

प्रार्थी

जयशंकर पुत्र श्री चुन्नीलाल रावल, निवासी– पालडी (आर), तहसील व जिला– सिरोही (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) सुरेश कुमार पुत्र श्री भबूताराम रावल, निवासी– पालडी (आर), तहसील व जिला– सिरोही (राज.)

(2) सरपंच / सचिव, ग्राम पंचायत, रामपुरा, तहसील व जिला– सिरोही (राज.)

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता सुश्री सीमा खत्री, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से

(2) अधिवक्ता श्री सुर्यवीर सिंह आढ़ा, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) सुरेश कुमार की ओर से

–ः निर्णय :– दिनांक 19 अगस्त, 2025

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अप्रार्थी सुरेश कुमार पुत्र श्री भबूताराम रावल, निवासी– पालडी (आर) के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 224 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक 21–01–2025 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) सुरेश कुमार की ओर से अधिवक्ता श्री सुर्यवीर सिंह आढा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 (एक) सुरेश कुमार की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को नोटिस को तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 12–8–2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त कि प्रार्थी निगरानीकार के पिता चुन्नीलाल पुत्र अचलाजी, जाति–रावल, निवासी–पालडी (आर) का एक आवासीय भूखण्ड गांव पालडी (आर) में आया हुआ है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत, रामपुरा से दिनांक 22–08–1979 को जारी शुदा है, जिसका पट्टा संख्या 135 व क्षेत्रफल 2820.6 वर्गफीट है, जिसकी चतुदर्शी पूरब दिशा में आम रास्ता व दरवाजा, पश्चिम दिशा में पड़त एवं रास्ता, उत्तर दिशा में नथाजी मूलाजी का मकान व दक्षिण दिशा में देवाराम अचलाजी का मकान है। प्रार्थी के पिता की उक्त पट्टेशुदा भूमि पर पश्चिम दिशा में 51 फीट लम्बाई की भूमि पर प्रार्थी निगरानीकार का मकान बना हुआ है तथा 51 फीट लम्बाई भूमि पर प्रार्थी के भाई कान्तिलाल का मकान भूखण्ड के पूरब दिशा में बना हुआ है। शेष 39X18=702 वर्गफीट भूमि दोनों भाईयों ने अपने दोनों भाईयों के शामलाती उपयोग के लिए छोड़ी हुई है एवं इस भूमि का उपयोग प्रार्थी निगरानीकार व उसके भाई के परिवार में शादी, मौत मृतक में कामकाज हेतु उपयोग करते आ रहे है। प्रार्थी निगरानीकार के उक्त पुश्तैनी पट्टे की भूमि की पूरब दिशा में अप्रार्थी सुरेश कुमार द्वारा वर्तमान ग्राम पंचायत, रामपुरा के अधिकारियों से मेल मिलाप कर प्रार्थी निगरानीकार की पट्टा शुदा भूमि में से

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

14X16=224 वर्गफीट का पट्टा ग्रुप चुप जारी करवा दिया गया है, जिसके पट्टा संख्या 26 दिनांक 21—01—2025 है। प्रार्थी निगरानीकार के भाई कान्तिलाल द्वारा जानकारी होने पर उक्त पट्टे का पंजीकरण रोकने बाबत् प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार की थी, इसके बावजूद भी अप्रार्थी सुरेश कुमार के उक्त विवादित पट्टे का पंजीकरण कर दिया गया जो आरंभतः शून्य है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 व राजस्थान पंचायती राज नियमों में ग्राम पंचायत को किसी व्यक्ति के पट्टेशुदा भूमि का दूसरे व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी करने का कानूनन कोई अधिकार नही है, उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा प्रार्थी निगरानीकार के उक्त पुश्तैनी पट्टेशुदा भूमि पर अप्रार्थी सुरेश कुमार को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधि विरुद्ध है। ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व संबंधित आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही की गई है तथा न ही मौके की जांच व मौका निरीक्षण किया गया है। ग्राम पंचायत, रामपुरा ने प्रार्थी निगरानीकार व उसके भाई कान्तिलाल के उक्त पुश्तैनी पट्टेशुदा भूमि में से प्रार्थी व उसके भाई के शामलाती उपयोग हेतु छोडी हुई भूमि में से 224 वर्गफीट भूमि का अप्रार्थी सुरेश कुमार के हक में नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है। अतः प्रार्थी निगरानीकार का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अप्रार्थी सुरेश कुमार पुत्र श्री भबूताराम रावल, निवासी– पालडी (आर) के हक में जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक 21—01—2025 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) सुरेश कुमार के विद्वान अधिवक्ता श्री आढा ने बहस के दौरान अप्रार्थी सुरेश कुमार के जबाव में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पट्टा संख्या 135 ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा चुन्नीलालजी के हक में जारी किए जाने का कथन गलत है। निगरानी आवेदन में वर्णित नाप व चतुदर्शी का कोई भूखण्ड मौके पर नहीं है तथा उक्त पट्टा संख्या 135 में अंकित नाप व चतुर्दशी मौके की स्थिति से मेल नही खाती है। उक्त पट्टा संख्या 135 की भूमि के पश्चिम दिशा में 51 फीट की लम्बाई में प्रार्थी निगरानीकर्ता का मकान बना हुआ होने तथा 51 फीट की लम्बाई में प्रार्थी के भाई कांतिलाल का मकान बना हुआ होने का कथन भी गलत है व शेष भूमि दोंनों भाईयों के शामलाती छोडे जाने का कथन भी गलत है, बल्कि पट्टा संख्या 135 की भूमि वादग्रस्त पट्टा की सम्पत्ति के आस पास भी नहीं है। प्रार्थी निगरानीकार ने गलत कथनों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जबकि हकीकत यह है कि वादग्रस्त पट्टे की सम्पत्ति अप्रार्थी सुरेश कुमार की पुश्तैनी कब्जे भोगवटा की है, जिसका कोई पट्टा पूर्व में जारी किया हुआ नहीं होने से विधि अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सुरेश कुमार के हक में पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी सुरेश कुमार के पट्टा के पश्चिम दिशा में आम रास्ता व दरवाजा पुर्व दिशा में हिम्मतराम पुत्र भगाजी का मकान आया हुआ है, जबकि प्रार्थी पुर्व दिशा में कांतिलाल व अपने स्वयं का मकान होने का कथन कर रहा है, प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में बताई गई पट्टा संख्या 135 की चतुर्दशी भी मौके की दिशाओं से मेल नहीं होती है। पट्टा संख्या 135 पर पूर्व सरपंच तुलसीरामजी के हस्ताक्षर है, तुलसीरामजी रावल, पूर्व सरपंच ने उपरोक्त प्रकार से कई गलत व फर्जी पट्टे सरपंच के पद पर नहीं होते हुए भी अपने हस्ताक्षर से तैयार कर लोगों को दिए है। पट्टा संख्या 135 के सम्बंध में ग्राम पंचायत में कोई रेकर्ड जैसे पट्टा बही, मिसल, प्रस्ताव, राशि जमा होने की रसीद आदि नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त पट्टा संख्या 135 फर्जी व कुटरचित दस्तावेज है। जबकि अप्रार्थी सुरेश कुमार के हक में ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा पट्टा संख्या 26 दिनांक 21—01—2025 को विधि अनुसार जारी किया गया है। अप्रार्थी सुरेश कुमार को जारी पट्टा के संबंध में प्रार्थी द्वारा गलत व झूठी शिकायत की गई है, उक्त शिकायत पर जॉच होने पर प्रार्थी द्वारा की गई शिकायत गलत व झुठी पाई गई थी। अप्रार्थी सुरेश कुमार की भूमि पर

........पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पुश्तैनी आवास बना हुआ था एवं अप्रार्थी सुरेश कुमार ने अपने स्वामित्व की सम्पत्ति का पट्टा जारी करवाया गया है। निर्विवाद रूप से वादग्रस्त सम्पत्ति पर पुराने समय से अप्रार्थी सुरेश कुमार का ही कब्जा है तथा आज भी अप्रार्थी सुरेश कुमार का कब्जा है। अप्रार्थी सुरेश कुमार एक वादग्रस्त पट्टे की सम्पति पर कैसे कब्जे में आया, यह प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में स्पष्ट नही किया हैं। जबकि वादग्रस्त पट्टा संख्या 26 की सम्पति अप्रार्थी सुरेश कुमार की पुश्तैनी सम्पति है, जिस पर अप्रार्थी सुरेश कुमार अपने पिता के समय से काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहा है, जिसका ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार पुर्ण प्रक्रिया के तहत पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अवैद्यता या अनियमितता नहीं है। अप्रार्थी सुरेश कुमार को अपनी सम्पत्ति का पट्टा जारी करवाए जाने का पूरा पूरा अधिकार है। अप्रार्थी सुरेश कुमार की सम्पत्ति को प्रार्थी अपने पट्टा शुदा भूमि होना गलत बता रहा है, तथा इसी विवाद को लेकर अप्रार्थी सुरेश कुमार के पट्टे को चुनौती दे रहा है जबकि अप्रार्थी सुरेश कुमार के हक में जारी पट्टा की सम्पत्ति अप्रार्थी सुरेश कुमार की पुश्तैनी सम्पत्ति है। यह न्यायालय यह तय करने में सक्षम नहीं है कि आया वादग्रस्त सम्पत्ति प्रार्थी की पट्टा संख्या 135 की सम्पत्ति है या अप्रार्थी सुरेश कुमार के पुश्तैनी सम्पत्ति है। उक्त विवाद एक सिविल प्रकृति का विवाद है, जिससे निगरानी आवेदन कानूनन परिपोषणीय नहीं है। अप्रार्थी सुरेश कुमार के पिता द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति का पट्टा बनाए जाने हेतु वर्ष 2014 में भी आवेदन किया गया था, जो गलती से ग्राम रोजगार सहायक को दे दिया गया था, जिससे पट्टा नहीं बन सका था। वर्ष 2016 में भी अप्रार्थी सुरेश कुमार के पिता द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा था तब शिकायत होने पर उसकी जाँच की गई थी, जॉच रिपोर्ट में अप्रार्थी सुरेश कुमार की पुश्तैनी सम्पत्ति पाई गई थी तथा पट्टा जारी किए जाने की सिफारिश की गई थी। उपरोक्त तथ्यों की जानकारी होते हुए भी गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी निगरानीकार का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अप्रार्थी सुरेश कुमार पुत्र श्री भबूताराम रावल, निवासी– पालडी (आर) के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 224 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 26 दिनांक 21–01–2025 को जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी निगरानीकार का मुख्यतः कथन है कि "प्रार्थी निगरानीकार के पिता चुन्नीलाल पुत्र अचलाजी, जाति–रावल, निवासी–पालडी (आर) का एक आवासीय भूखण्ड गांव पालडी (आर) में आया हुआ है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत, रामपुरा से दिनांक 22–08–1979 को जारी शुदा है, जिसका पट्टा संख्या 135 व क्षेत्रफल 2820.6 वर्गफीट है, जिसकी चतुदर्शी पूरब दिशा में आम रास्ता व दरवाजा, पश्चिम दिशा में पड़त एवं रास्ता, उत्तर दिशा में नथाजी मूलाजी का मकान व दक्षिण दिशा में देवाराम अचलाजी का मकान है। प्रार्थी के पिता की उक्त पट्टेशुदा भूमि पर पश्चिम दिशा में 51 फीट लम्बाई की भूमि पर प्रार्थी निगरानीकार का मकान बना हुआ है तथा 51 फीट लम्बाई भूमि पर प्रार्थी के भाई कान्तिलाल का मकान भूखण्ड के पूरब दिशा में बना हुआ है। शेष 39X18=702 वर्गफीट भूमि दोनों भाईयों ने अपने दोनों भाईयों के शामलाती उपयोग के लिए छोड़ी हुई है एवं इस भूमि का उपयोग प्रार्थी निगरानीकार व उसके भाई के परिवार में शादी, मौत मृतक में कामकाज हेतु उपयोग करते आ रहे है।" प्रार्थी निगरानीकार का यह भी कथन है कि "ग्राम पंचायत, रामपुरा ने प्रार्थी निगरानीकार व उसके भाई कान्तिलाल के उक्त पुश्तैनी पट्टेशुदा भूमि में से प्रार्थी व उसके भाई के शामलाती उपयोग हेतु छोडी हुई भूमि में से 224 वर्गफीट भूमि का अप्रार्थी सुरेश कुमार

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

के हक में नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया है।'' जबकि अप्रार्थी सुरेश कुमार का यह कथन है कि ''वादग्रस्त पट्टे की सम्पत्ति अप्रार्थी सुरेश कुमार की पुश्तैनी कब्जे भोगवटा की है, जिसका कोई पट्टा पूर्व में जारी किया हुआ नहीं होने से विधि अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सुरेश कुमार के हक में पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी सुरेश कुमार के पट्टा के पश्चिम दिशा में आम रास्ता व दरवाजा पुर्व दिशा में हिम्मतराम पुत्र भगाजी का मकान आया हुआ है, जबकि प्रार्थी पुर्व दिशा में कांतिलाल व अपने स्वयं का मकान होने का कथन कर रहा है, प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में बताई गई पट्टा संख्या 135 की चतुर्दशी भी मौके की दिशाओं से मेल नहीं होती है।'' अप्रार्थी सुरेश कुमार का यह भी कथन है कि ''पट्टा संख्या 135 के सम्बंध में ग्राम पंचायत में कोई रेकर्ड जैसे पट्टा बही, मिसल, प्रस्ताव, राशि जमा होने की रसीद आदि नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त पट्टा संख्या 135 फर्जी व कुटरचित दस्तावेज है। जबकि अप्रार्थी सुरेश कुमार के हक में ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा पट्टा संख्या 26 दिनांक 21–01–2025 को विधि अनुसार जारी किया गया है।'' अप्रार्थी सुरेश कुमार का यह भी कथन है कि ''यह न्यायालय यह तय करने में सक्षम नहीं है कि आया वादग्रस्त सम्पत्ति प्रार्थी की पट्टा संख्या 135 की सम्पत्ति है या अप्रार्थी सुरेश कुमार के पुश्तैनी सम्पत्ति है। उक्त विवाद एक सिविल प्रकृति का विवाद है, जिससे निगरानी आवेदन कानूनन परिपोषणीय नहीं है।''

प्रकरण में प्रार्थी निगरानीकार द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित उक्त कथनों के समर्थन में ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा प्रार्थी के पिता चुनीलाल अचलाजी रावल, निवासी– पालडी (आर) के पक्ष में क्षेत्रफल 2820.6 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 135 दिनांक 22–8–1979 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित चतुर्दशी पूर्व में आम रास्ता व दरवाजा एक, पश्चिम में पडत भूमि दरवाजा एक व सिरोही से कालन्द्री वाला सड़क, उत्तर में नथाजी मूलाजी रावल का परवाडा व दक्षिण दिशा में देवाराम अचलाजी रावल का मकान व परवाडा अंकित है। प्रार्थी के कथनानुसार ''प्रार्थी निगरानीकार के उक्त पुश्तैनी पट्टे की भूमि की पूरब दिशा में अप्रार्थी सुरेश कुमार द्वारा वर्तमान ग्राम पंचायत, रामपुरा के अधिकारियों से मेल मिलाप कर प्रार्थी निगरानीकार की उक्त पुश्तैनी पट्टा शुदा भूमि में से 14X16=224 वर्गफीट का पट्टा ग्रुप चुप जारी करवा दिया गया है।'' प्रार्थी निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत उक्त पट्टा संख्या 135 में अंकित चतुर्दशी में पूर्व दिशा में आम रास्ता व दरवाजा अंकित किया हुआ है तथा अप्रार्थी सुरेश कुमार के हक में जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक 21–01–2025 में अंकित चतुर्दशी में पश्चिम दिशा में रास्ता व दरवाजा अंकित किया हुआ है। प्रकरण में दोनों पक्षों ने मौके का कोई नजरी नक्शा प्रस्तुत नही किया है, जिससे मौके की स्थिति स्पष्ट नही हो पा रही है तथा ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित रुप से यह कहा जाना संभव नही है कि उक्त पट्टा संख्या 135 में अंकित नाप व चतुर्दशी, मौके की स्थिति अनुसार मेल नही खाती हो। जबकि प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में कथन किया है कि प्रार्थी निगरानीकार के पिता चुन्नीलाल पुत्र अचलाजी के नाम से जारी उक्त पट्टा संख्या 135 की भूमि के मौके पर भूमि के पश्चिम दिशा में प्रार्थी निगरानीकार का मकान व प्रार्थी निगरानीकार के मकान के पूरब दिशा में उसके भाई कान्तिलाल का मकान व कान्तिलाल के मकान के पूरब दिशा में प्रार्थी व उसके भाई के शामलाती उपयोग की छोडी गई भूमि है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अप्रार्थी सुरेश कुमार के हक में पट्टा संख्या 26 दिनांक 21–01–2025 को जारी किये जाने से पूर्व मौके की कोई जांच नही की गई है तथा न ही उक्त पट्टा संख्या 135 की भूमि का नाप जोख किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि संबंधित कानून, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत पुराने गृहों के विनियमितिकरण करने का प्रावधान है,

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जबकि पत्रावली पर उपलब्ध फोटोग्राफस् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि के मौके पर पुराना आवासीय मकान बना हुआ नही होकर मौके पर प्लीन्थ लेवल (नींव से उपर तक) से कुछ उपर तक दीवार बनी हुई है तथा मौके पर भूमि खुली भूमि है। ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त भूमि पर कब्जे व स्वामित्व के संबंध में कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी निगरानीकार का निगरानी आवेदन स्वीकार कर प्रश्नगत पट्टे का निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत, रामपुरा को मौके व रेकर्ड की जांच कर विधि अनुरुप कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अप्रार्थी सुरेश कुमार पुत्र भबूताराम जी रावल, निवासी–पालडी (आर) के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 224 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक 21–01–2025 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, रामपुरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मौके व रेकर्ड की जांच करके एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 मे प्रदत्त प्रावधानों के अर्न्तगत विधि अनुरुप कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही